वर्ष २००५-०६ के दौरान सहायता प्रदत्त स्कीमों के संबंध में सहायता का पैटर्न

क. व्यवसाय विकास

√ रा.स.वि.नि. द्वारा क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिये वित्त पोषित सभी प्रकार की राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय और प्राथमिक स्तरीय सहकारितायें ।

कार्यकलाप	विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
	रासविनि से रा.स. को	रा.स. से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से रा.स. को	रा.स. से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से रा.स. को	रा.स. से समिति को	सीधा वित्त पोषण
मार्जिन मनी	ऋण - बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु मार्जिन	ऋण अथवा हि.पूं	ऋण	ऋण-८०.% *सब्सि -२०%	ऋण या हि.पू.८०% सब्सि.*20%	ऋण 80% सब्सि.* 20%	ऋण 75% सब्सि.* 25%	ऋण या हि.पू.75% सब्सि.* 25%	ऋण७५ % सब्सि.* 25%
कार्यशील पूंजी	ऋण आवश्यकता अनुसार	ऋण	ऋण	ऋण आवश्यकता अनुसार	ऋण	ऋण	ऋण आवश्यकता अनुसार	ऋण	ऋण
हिस्सा पूंजी	निवेश ऋण आवश्यकता अनुसार	हिस्सा पूंजी	--	निवेश ऋण आवश्यकता अनुसार	हिस्सा पूंजी	--	निवेश ऋण आवश्यकता अनुसार	हिस्सा पूंजी	--
* सब्सिडी भारत सरकार से उपलब्धता की शर्त पर अन्यथा रा०स०वि०नि० से समान ऋण। सब्सि. = सब्सिडी हि.पू.= हिस्सा पूंजी।									

ख. ढांचा सृजन (परियोजना सुविधाएं)

लघु उद्योग यूनिटों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्प, संबद्ध उद्योगों के अन्य उत्पादों सहित सभी प्रकार की लघु और मध्यम आकार की यूनिट (कृषि प्रसंस्करण यूनिटों को छोडकर), बैंत और बांस यूनिट, कायर यूनिट आदि, एकीकृत परियोजनाओं (आईसीडीपी को छोडकर,) सहित प्लांट और मशीनरी/उपस्कर, भंडारण/गोदामों का प्रस्थापन (नवीकरण/मरम्मत/अपग्रेडेशन सहित) वर्कशेडो, करघों की खरीद, सहकारी/औद्योगिक संपदायें, सेवा और मरम्मत केन्द्र, शोरूम, शोरूम-सह-गोदाम, मार्किट यार्ड, रीयरिंग यूनिट और ग्रेनेजिंज, मछली टैंक/फार्म, कुक्कुटपालन फार्म, पशुधन पशुओं का पालन और प्रजनन, बीज फार्म आदि का प्रस्थापन, शीत भंडारण, आईस प्लांट, फ्रीजिंग प्लांट, मत्स्यपालन के लिये निवेशों और अन्य ढांचे सहित नावों का निर्माण, फर्नीचर और फिक्सचर, रेफ्रीजरेटिड और इंसुलेटिड वाहनों सहित परिवहन वाहन, कम्प्यूटरों/कम्प्यूटरीकरण आदि की संस्थापना/खरीद, कृषि सेवा/कृषक सेवा केन्द्रों का प्रस्थापन, कृमिनाशक/कीटनाशक निर्माण यूनिट, जैव उर्वरकों/दानेदार उर्वरक, आर्गेनिक खाद जैसी निवेश निर्माण यूनिट, जल संचयन/सिंचाई ढांचा सुविधाओं का सृजन, सेवा सहकारितायें आदि और रा०स०वि०नि० अधिदेश के अनुसार अन्य कोई संबद्ध कार्यकलाप ।

विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य		
रासविनि से रा० स० को	राज्य स० से समिति को	सीधा वित्त पोषण्	रासविनि से रा० स० को	राज्य स० से समिति को	सीधा वित्त पोषण्	रासविनि से रा० स० को	राज्य स० से समिति को	सीधा वित्त पोषण्
ऋण 90%	ऋण 50% हि.पूं./ 40% सब्सि.	ऋण 65%	ऋण 70% सब्सि.* 20%	ऋण 50% हि.पूं. 20% सब्सि.* 20%	ऋण 50% सब्सि.* 20%	ऋण 70% सब्सि.* 25%	ऋण 50% हि.पूं. 20% सब्सि.* 25%	ऋण 50% सब्सि.* 25%
सदस्यों का अंशदान	10%	35%		10%	30%		5%	25%

* सब्सिडी भारत सरकार से उपलब्धता की शर्त पर अन्यथा रासविनि से समान ऋण ।

सब्सि. = सब्सिडी हि.पूं = हिस्सा पूंजी

कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के संबंध में राज्य सरकारों के माध्यम से अथवा सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्यों में सीधे १००% ऋण मुहैया करवाया जा सकता है ।

प्रस्तावित परियोजना की सक्षमता के आधार पर ऋण इक्विटी अनुपात अलग-अलग हो सकते हैं ।

ग) प्रसंस्करण

(i) चीनी मिल

कार्यकलाप	विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
	रासविनि से रा. सर. को	रा.सर. से समिति को..	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से रा. सर. को	रा.सर. से समिति को..	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से रा. सर. को	रा.सर. से समिति को..	सीधा वित्त पोषण
नई यूनिट	निवेश ऋण परियोजना लागत का 30% तक	हि.पूं. के रूप में परियोजना लागत का ३०% तक	-	निवेश ऋण परियोजना लागत का 30% तक	हि.पूं. के रूप में परियोजना लागत का ३०% तक	-	निवेश ऋण परियोजना लागत का 30% तक	हि.पूं. के रूप में परियोजना लागत का ३०% तक	-
आधुनिकीकरण/ विस्तारण (५००० टीसीडी तक) *	ऋण परि० लागत का 50%+ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसार एसडीएफ से ४०% ऋण	ऋण परि० लागत का 50%+ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसार एसडीएफ से ४०% ऋण	ऋण परि० लागत का 50%+ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुसार एसडीएफ से ४०% ऋण	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह
5000 हीटीसीडी से अधिक विस्तारण	ऋण परियोजना लागत का ६५%	ऋण परियोजना लागत का ६५%	ऋण परियोजना लागत का ६५%	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह
उपोत्पाद	ऋण परियोजना लागत का ६५%	ऋण परियोजना लागत का ६५%	ऋण परियोजना लागत का ६५%	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह	विकसित राज्यों की तरह

नोट: राज्य सरकार(रों) को निवेश ऋण केवल उन चीनी सहकारी मिलों के लिये मुहैया कराया जाएगा जिन्होंने वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से आवधिक ऋण की पक्की मंजूरी सुनिश्चित कर ली होगी और प्लांट और मशीनरी के लिए आदेश को अंतिम रूप दे दिया होगा । नयी चीनी सहकारिताओं को आवधिक ऋण वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि द्वारा मुहैया कराया जायेगा ।

- १०,००० टीसीडी तक क्षमता के विस्तारण और १०,००० टीसीडी से अधिक क्षमता के आधुनिकीकरण को कवर करने हेतु एसडीएफ नियमों में २००५-०६ में संशोधन किया गया ।

(ii) तेल मिल, खाद्यान्न यूनिट, फल एवं सब्जी यूनिट, बागानी फसल प्रसंस्करण यूनिट, डेरी यूनिट, सिल्क रीलिंग/ ट्विस्टिंग यूनिट, रेशम कताई, ऊन कताई और जूट प्रसंस्करण जैसी सभी लघु और मध्यम आकार की कृषि प्रसंस्करण यूनिट और रा०स०वि०नि० के अधिदेश में दिया गया अन्य कोई कार्यकलाप ।

कार्यकलाप	विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति व	सीधा वित्त पोषण
नई यूनिट, विस्ता.,आधु., विविधिकरण	ऋण 90%	ऋण 50% हि.पूं./40% सब्सि.	ऋण 65%	ऋण 70% सब्सि.* 20%	ऋण 50% हि.पूं. 20% सब्सि.* 20%	ऋण 50% सब्सि.* 20%	ऋण७०% सब्सि.* 25%	ऋण 50% हि.पूं. 20% सब्सि.* 25%	ऋण 50% सब्सि.* 25%
उपाकरण वित्तपोषण	ऋण 90%	ऋण 90%	ऋण 65%	ऋण 90%	ऋण 90%	ऋण 65%	ऋण 90%	ऋण 90%	ऋण 65%

* सब्सिडी भारत सरकार से उपलब्धता की शर्त पर अन्यथा रा०स०वि०नि० से ऋण के समान ।

ऋण इक्विटी अनुपात प्रस्तावित परियोजना की सक्षमता के आधार पर अलग-अलग हो सकता है ।

(iii) कताई मिलें

कार्यकलाप	विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को ***y#***	सीधा वित्त पोषण	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को ***y#***	सीधा पोषण
नई मिलों में हिस्सा पूंजी अंशदान	ऋण - परियोजना लागत का २०% या रा०स० द्वारा हि.पूं. का ५०% - जो भी कम हो	सदस्यों के लिए निर्धारित इक्विटी को छोडकर परियोजना लागत का ५०% अंशदान जो परियोजना लागत के १०% से कम नहीं होना चाहिए	*	ऋण - परियोजना लागत का ३०% या रा०स० द्वारा हि.पूं. का ७०% अंशदान - जो भी कम हो	सदस्यों के लिए निर्धारित इक्विटी को छोडकर परियोजना लागत का ५०% अंशदान जो परियोजना लागत के ७.५% से कम नहीं होना चाहिए	*	अल्प विकसित राज्यों की तरह	अल्प विकसित राज्यों की तरह	*
आधुनिकीकरण / विस्तारण	आवधिक ऋण 60% निवेश ऋण 30%	आवधिक ऋण 60% हि.पूं. 30% (सदस्यों का अंशदान 10%)	*	आवधिक ऋण ६०% निवेश ऋण 32.5%	आवधिक ऋण 60% हि.पूं. 32.5% (सदस्यों का अंशदान ७.५%)	*	अल्प विकसित राज्यों की तरह	अल्प विकसित राज्यों की तरह	*
कताई मिलों और राज्य सहकारी कपास संघों को मार्जिन मनी सहायता	ऋण 100%	हि.पूं. या दीर्घावधिक ऋण 100%	ऋण 100%	ऋण 100%	हि.पूं. या दीर्घावधिक ऋण 100%	ऋण 100%	ऋण 100%	हि.पूं. या दीर्घावधिक ऋण 100%	ऋण 100 %
मौजूदा यूनिटों का आधुनिकीकरण और मार्डर्न जीनिंग और प्रेसिंग यूनिटों का प्रस्थापन	आवधिक ऋण ५५ % निवेश ऋण २५ % सब्सि. १०% सदस्य अंशदान १०%	आवधिक ऋण ५५ % निवेश ऋण २५ % सब्सि. १०% सदस्य अंशदान १०%	*	आवधिक ऋण ५५ % निवेश ऋण २५ % सब्सि. १०% सदस्य अंशदान १०%	आवधिक ऋण ५५ % निवेश ऋण २५ % सब्सि. १०% सदस्य अंशदान १०%	*	आवधिक ऋण ५५ % निवेश ऋण २५ % सब्सि. १०% सदस्य अंशदान १०%	आवधिक ऋण ५५ % निवेश ऋण २५ % सब्सि. १०% सदस्य अंशदान १०%	*
कपास उत्पादकों/बुनकर/पॉवरलूम मिलों का पुनर्स्थापन	ऋण 70% सब्यि. 20% सदस्यों का अंशदान 10%	सक्षमता आवश्यकता के अनुसार		ऋण 70% सब्यि. 20% सदस्यों का अंशदान 10%	सक्षमता आवश्यकता के अनुसार		ऋण 70% सब्यि. 20% सदस्यों का अंशदान 10%	सक्षमता आवश्यकता के अनुसार	

कताई मिलों को सब्सिडी प्रत्येक मिल को ५०० लाख रूपये तक सीमित है ।

* सीधे वित्त पोषण हेतु सहायता का पैटर्न प्रसंस्करण यूनिटों के लिये ग(**ii**) में उल्लिखित की तरह होगा ।

सब्सिडी भारत सरकार से प्राप्ति की शर्त पर मुहैया कराई जायेगी ।

घ) **एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें (आई.सी.डी.पी.)**

क्रम सं०	कार्यकलाप	रासविनि से राज्य सरकार को			राज्य सरकार से समिति को			
		ऋण	सब्सि.	योग	ऋण	हि.पूं.	सब्सि.	योग
(i)	तिजोरी/तहखाना/नकदीकरण/स्ट्रांग रूम	१००%	-	१००%	५०%	५०%	-	१००%
(ii)	मार्जिन मनी (जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/ परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी को अंशपूंजी सहित)	१००%	-	१००%	-	१००%	-	१००%
(iii)	जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण	-	@५०%	@५०%	-	-	१००%	१००%
(iv)	प्रबंधकीय सहायता एवं प्रोत्साहन (परियोजना क्रियान्वयन एजेंसीं तथा मॉनीटरिंग सैल हेतु लागू)	-	@५०%	@५०%	-	-	१००%	१००%
(v)	ऊपर उल्लिखित न की गई परियोजना की उप-परियोजनाओं के लिये पैटर्न, इस संशोधन के साथ कि सहकारिताओं के आगे प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकारों को १००% सहायता मुहैया कराई जायेगी, दिये गये राज्य/कार्यकलाप/श्रेणी हेतु रा०स०वि०नि० सामान्य स्कीमों के मामले में लागू होगा । किसी विभाग/मंत्रालय/एजेंसी से उपलब्ध सब्सिडी सहायता का सहकारिताओं को आगे प्रदान किये जाने हेतु सामजस्य किया जायेगा ।							

@ विशेष श्रेणी राज्य के तौर पर वर्गीकृत राज्य सरकारों को रा०स०वि०नि० से ऊपर मद संख्या **(iii)** और **(iv)** के अंतर्गत १००% सब्सिडी मुहैया कराई जायेगी ।

नोट :

1. परियोजना में कुल सब्सिडी घटक परियोजना लागत के ३०% से अधिक नहीं होगा ।
2. परियोजना के अंतर्गत अन्य कार्यकलाप प्रचलित पैटर्न के अनुसार रहेंगे ।
3. समिति को राज्य सरकारों से वित्त पोषण पैटर्न राज्य सरकारों के परामर्श से परिवर्तन की शर्त पर होगा ।

संसाधन केन्द्रों के माध्यम से पैक्स का विकास

संसाधन केन्द्र स्कीम के अंतर्गत ऋण, बैंकिंग और अन्य आय सृजक कार्यकलापों जैसे सक्षम क्षेत्रों में परामर्श और मार्गदर्शन के माध्यम से पैक्स के विकास हेतु कलस्टर एप्रोच का इस्तेमाल करने का प्रावधान है ।

ब्लॉक स्तर पर स्थापित किये जाने वाले संसाधन केन्द्र १० पैक्स के कलस्टर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा । यह समग्र तौर पर निगम के क्षेत्रीय निदेशालय के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा । इसमें बैंकिंग, सहकारी विकास, लेखा आदि के विशेषज्ञ शामिल होंगे । स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण स्तर पर विशेषकर मानव संसाधन विकास में अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों से सहयोग प्राप्त करने का प्रावधान है । प्रारंभ में स्कीम पायलट आधार पर कार्यान्वित की जा रही है ।

प्रथम तीन वर्षों के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा। तथापि स्कीम के अंतर्गत कवर की गई सहकारिताओं को परियोजना के शुरू हो जाने के वर्ष तक कम से कम १०००/- रूपये प्रति माह का अंशदान किया जायेगा । तीन वर्ष के बाद संसाधन केन्द्र के स्वयं-वित्त पोषक हो जाने की संभावना है ।

ड. संवर्धनात्मक और विकासात्मक कार्यक्रम

<u>तकनीकी तथा संवर्धनात्मक सेल</u>

- सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय सहकारी संघ (कमजोर वर्गो के कार्यक्रमो से जुडे कार्यक्रमों को छोडकर)

अल्प विकसित राज्य	अल्पतम विकसित राज्य
5 वर्षो की अवधि के लिए कम-कम किए जाने के आधार (टेपरिंग स्केल) पर उपलब्ध कराए जाने वाले व्यावसायिकों के रोजगार हेतु सब्सिडी ! i पहले 2 वर्षो में 100% ii तीसरे तथा चौथे वर्ष में 80% iii पांचवें वर्ष में ७०%	7 वर्षो की अवधि के लिए कम-कम किए जाने के आधार (टेपरिंग स्केल) पर उपलब्ध कराए जाने वाले व्यावसायिकों के रोजगार हेतु सब्सिडी ! i पहले 5 वर्षो में 100% ii बाद के 2 वर्षो के लिए 80%

- <u>कमजोर वर्गो के कार्यक्रमों के साथ जुडे सभी संघ</u>

अल्प विकसित राज्य	अल्पतम विकसित राज्य
7 वर्षो की अवधि के लिए कम- कम किए जाने के आधार (टैपरिंग स्केल) पर उपलब्ध कराए जाने वाले व्यावसायिकों के रोजगार हेतु सब्सिडी । i प्रथम 5 वर्षो के लिए 100% ii बाद के 2 वर्षो के लिए 80%	अल्प विकसित राज्यों के समान

रा0स0वि0नि0 के साथ परामर्श कर सभी संबंधित संघ विभिन्न विशेषज्ञों/व्यावसायिकों के लिए अर्हताएं वेतनमान तथा अन्य परिलब्धियां निर्धारित करेंगे ।

सब्सिडी केवल 5 से 7 वर्षो के लिए वेतन, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, मंहगाई भत्ते के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है । निगम द्वारा सहायता, संस्थान के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने तथा ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता को निर्धारित करने के पश्चात मंजूर की जाएगी ।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के कार्यालय में डेवलपमेंट आफिसर की नियुक्ति के लिए सहायता का स्वरुप वही रहेगा जो अल्पतम तथा अल्प विकसित राज्यों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संघों पर लागू है ।

कार्यकलाप	विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		
	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा पित्त पोषण	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा पित्त पोषण	रासविनि से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	सीधा पित्त पोषण
संवर्धनात्क और विकासात्मक -प्रसंस्करण यूनिटों आदि के प्रस्थापन हेतु परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण, वित्तीय प्रबंधन, अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आदि	-	-	-	सब्सि. 100%	सब्सि. 100%	सब्सि. 100%	सब्सि. 100%	सब्सि. 100%	सब्सि. 100%

* अध्ययन किये जाने से पूर्व और परामर्शकों को कार्य सौंपे जाने से पूर्व निगम की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की शर्त पर ।

4. सामान्य नोट:

1. प्रसंस्करण यूनिटों और अन्य ढांचागत सुविधाओं के मामले में ऋण- इक्विटी अनुपात परियोजनाओं की सक्षमता के मद्देनजर समायोजित किया जा सकता है । सदस्यों के हिस्से के भाग को राज्य सरकार द्वारा मुहैया कर दिये जाने पर सदस्य अंशदान कम किया जा सकता है ।

2. भारत सरकार/अन्य संस्थाओं की विशिष्ट स्कीमों के अंतर्गत वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में उनका सहायता पैटर्न लागू होगा ।

3. रा०स०वि०नि० की स्कीम का भारत सरकार के विभागों/अन्य किसी स्रोत (तों) की स्कीमों के साथ सामजस्य किया जायेगा । सहायता के पैटर्न का तदनुसार समायोजन किया जायेगा ।

4. पूर्ण हो चुकी/आंशिक तौर पर पूरी हो चुकी परियोजनाओं के मामले में भी, जहाँ राशि खर्च की जा चुकी है और वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि से आवधिक ऋण ले लिया हो/ मंजूर किया जा चुका हो तो, सहायता निवेश ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है ।

5. परियोजनाओं के आधुनिकीकरण/विस्तारण/विविधिकरण के मामले में धन की उपलब्धता की शर्त पर राज्य सरकारों के लिये निर्धारित हिस्से को वहन करने के लिये निगम निवेश ऋण मुहैया करा सकता है ।

6. उन सहकारिताओं को सहायता जिनका कार्य क्षेत्र एक राज्य से अधिक है सीधे मुहैया कराई जा सकती है बशर्ते कि परिसंपत्तियों आदि के रेहन द्वारा उचित सिक्योरिटी मुहैया करा दी गई हो ।

7. संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारिताओं को सहायता केन्द्र सरकार की गारंटी पर सीधे प्रदान की जायेगी ।

8. सीधा वित्त पोषण निगम द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शकों के अनुसार किया जायेगा ।

9. सहायता का पैटर्न मुहैया की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा को इंगित करता है ।